प्रेस विज्ञप्ति

08.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने अमित कत्याल, मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06.08.2024 को मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल और अन्य की 113.03 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। यह कार्रवाई डीटीसीपी से अपने नाम पर कोई लाइसेंस लिए बिना प्लॉट खरीदारों के पैसे को स्वीकार करके अवैध रूप से डायवर्ट करने और गबन करने के संबंध में की गई है।

ईडी ने गुरुग्राम पुलिस और ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल, राजेश कत्याल और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की। आरोप है कि मेसर्स कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और अमित कत्याल (रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े) ने बिना लाइसेंस के प्लॉट आवंटित करने के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी की है और आपराधिक साजिश, गलत बयानी, धोखाधड़ी और ठगी के जरिए ऐसे प्लॉट खरीदारों के सैकड़ों करोड़ रुपये अवैध रूप से विदेश भेज दिए हैं।

ईडी ने मार्च 2024 में पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया था और अमित कत्याल, राजेश कत्याल और अन्य के खिलाफ सबूत जब्त किए गए थे। सबूतों से प्लॉट खरीदारों से ली गई अपराध की आय (पीओसी) का भी पता चला और 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शेल कंपनियों के जरिए पासपोर्ट हासिल करने के लिए श्रीलंका और सेंट किट्स एंड नेविस में होटल कम लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में विदेश में निवेश की गई है, जिसका लाभकारी स्वामित्व अमित कत्याल के पुत्र कृष्ण कत्याल के पास पाया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के नांगलीउमरपुर, उल्लावास, मैदावास गांवों में सेक्टर 63, 65 में 70 एकड़ जमीन, क्रिश प्रोविंस एस्टेट परियोजनाओं में 05 फ्लैट, गुरुग्राम में क्रिश फ्लोरेंस एस्टेट में 07 फ्लैट जो बेनामी निदेशकों के नाम पर हैं और मुंबई में दो फ्लैट जो बेनामी कंपनी में हैं, जोनापुर, नई दिल्ली में एक शानदार ढंग से निर्मित फार्म हाउस और नई दिल्ली में वाणिज्यिक संपत्ति, सहयोगियों की 27 करोड़ रुपये की एफडीआर शामिल हैं, जिसमें अमित कत्याल ने कंपनियों और प्रमुख व्यक्तियों सहित करीबी रिश्तेदारों के नाम पर पीओसी पार्क किया हुआ पाया गया।

आगे की जांच जारी है।